सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024/443 दर्ज तिथिः–23.09.2024

1. लुम्बाराम पुत्र लिखमाराम
2. पुनमाराम पुत्र लिखमाराम

   जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर।

........................वादी

बनाम

1. अखाराम पुत्र जगमालराम
2. कुम्भाराम पुत्र जगमालराम
3. नरीगाराम पुत्र जगमालराम फौत के कायम मुकामान

   3/1 रामाराम पुत्र नरीगाराम
   3/2 रूपाराम पुत्र नरीगाराम
   3/3 पनाराम पुत्र नरीगाराम
4. उदाराम पुत्र मेहरीराम
5. खेताराम पुत्र मेहरीराम
6. गोरखाराम पुत्र मेहरीराम
7. चुतराराम पुत्र मेहरीराम
8. चीमाराम पुत्र मेहरीराम
9. खेताराम पुत्र आदुराम
10. भीखाराम पुत्र आदुराम
11. मुकाराम पुत्र आदुराम

    जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.......................असल प्रतिवादी

12. शाखा प्रबंधक एसबीआई, एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी।
13. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे गुड़ामालानी
14. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री हरीश चौधरी
श्री जगदीश विश्नोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः– 05.12.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 18/10.6108 है0 मौजा रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 10 विधिवत तामिल बाद असालतन–वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। शेष अनपुपस्थित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 10 का हिस्सा भी बाई मीटस बाई बाउण्ड पृथक किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में उभय अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण द्वारा दौरान–ए–बहस वादीगण का खाता बाई मिटस बाई बाउण्ड पृथक किये जाने का निवेदन किया। जिस पर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 10 ने कब्जे काश्त को मध्यनजर रखते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 17.07.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक राजकाज रेफरेंस संख्या 18310765 दिनांक 13.10.2025 द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक राजकाज रेफरेंस संख्या 18310765 दिनांक 13.10.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 01.10.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2361—2374 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.10.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2361—2374 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 01.10.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। प्रकरण में दौराने बहस प्रतिवादी ने तहसीलदार कुर्रेजात रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए एक परिशिष्ट व नजरी नक्शा पेश करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का पृथक से खाता विभाजन व प्रतिवादी संख्या 01—03 व 09—11 का पृथक से खाता विभाजन करते हुए सभी को रास्ता कायम किया जावे। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे पर वादीगण ने आपत्ति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादीगण को रास्ते की आवश्यकता नहीं है। अतः वादीगण के हिस्से की आराजी को छोड़ते हुए शेष प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी में से ही भले ही अन्य प्रतिवादीगण को रास्ता कायम किया जावे। इस प्रकार वादीगण का अभिकथन है कि वादीगण के रिकॉर्डेड रकबे में कमी नहीं की जाकर प्रतिवादीगण के रकबे में से ही रास्ता दर्ज किया जावे।

5. प्रकरण में बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073—2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 18 / 10.6108 है0 मौजा रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारों के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में वादी व प्रतिवादी संयुक्त रूप से खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

6. प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन पर केवल यह विवाद है कि वादी को रास्ता की आवश्यकता नहीं है तथा प्रतिवादी को रास्ते की आवश्यकता है। साथ ही वादी का यह जोर है कि वादीगण के रिकॉर्डेड रकबे में कमी नहीं की जाकर प्रतिवादीगण के रकबे में से ही रास्ता दर्ज किया जावे। जबकि प्रतिवादीगण का यह जोर है कि समस्त खातेदारों के खाता विभाजन के पश्चात कायम खाते की आराजी तक रास्ते की पहुंच हो तथा रास्ते की भूमि सभी सहखातेदारों के हिस्से से कम की जावे। यहां उल्लेखनीय है कि संयुक्त खाते के विभाजन के पश्चात कायम किये जाने वाले समस्त पृथक खाते की आराजी तक रास्ते की पहुंच सुनिश्चित करना विधिसंगत है। यह भी उल्लेखनीय है कि संयुक्त खाते के विभाजन के पश्चात कायम किये जाने वाले समस्त पृथक खाते की आराजी तक समस्त खाते की भूमि में से रास्ते में आई भूमि को सर्वप्रथम कम करते हुए शेष भूमि का विभाजन करना विधिसंगत है। अर्थात रास्ते की भूमि सभी खातेदारो के हिस्से से समान रूप से कम किये जाना विधिसंगत है। इस प्रकार प्रकरण में प्रतिवादी का कथन विधिसंगत प्रतीत होता है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का संयुक्त रूप से पृथक से खाता कायम करते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 01—03 तथा 09—11 का संयुक्त रूप से पृथक खाता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में काले रंग से प्रदर्शित मार्ग पर 18 फिट चौड़ाई के रास्ते की केवल प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के गुलाबी रंग से प्रदर्शित हिस्से तक ही पहुंच रखते हुए रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के रकबे को समस्त सहखातेदारों के रकबे से कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकरण में विभाजन करते हुए व रास्ता कायम करते हुए डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

7. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*

Signature Not Verified
Digitally Signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः—

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक—पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक—पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग—उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

10. अतः हाल सह काश्तकार [illegible] पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खाते [illegible] आराजी पर बेदखल करने का प्रयास

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 18/10.6108 है0 मौजा रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा डिक्री किया जाता है। वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का संयुक्त रूप से पृथक से खाता कायम करते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 01—03 तथा 09—11 का संयुक्त रूप से पृथक खाता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में काले रंग से प्रदर्शित मार्ग पर 18 फिट चौड़ाई के रास्ते की केवल प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के गुलाबी रंग से प्रदर्शित हिस्से तक ही पहुंच रखते हुए रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के रकबे को समस्त सहखातेदारों के रकबे से कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूनमाराम पुत्र लिखमाराम हि0 1/2 लूम्बाराम पुत्र लिखमाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार	रोली	18	2.6527 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.6527 है0				
अखाराम पुत्र जगमालराम हि0 1/6 कुम्भाराम पुत्र जगमालराम हि0 1/6 खेताराम, भीखाराम, मुकाराम पिसरान आदूराम हि0 1/18—1/18 पोकराराम, रूपाराम, रामाराम पि0 नरींगाराम हि0 5/108—5/108 हीरोदेवी पत्नी नरींगाराम हि0 1/36 जाति जाट सा0 देह खातेदार	रोली	18	5.2284 है0	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

राहिन अखाराम, उदाराम, कुम्भाराम, चुतराराम, चिमाराम, पोकराराम, रूपाराम, रामाराम, हीरोदेवी पूर्ण खाता एसबीआई गुड़ामालानी भीखाराम, मुकाराम पूर्ण खाता आरएमजीबी गुड़ामालानी				
उदाराम, खेताराम, गोरखाराम, चुतराराम, चिमाराम पिसरान मेहरीराम हि0 1 / 5—1 / 5	रोली	18	2.6142 है0	बा0सो0
गैर मुमकिन रास्ता	रोली	18	0.1540 है0	गैर मुमकिन रास्ता
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में काले रंग से प्रदर्शित मार्ग पर 18 फिट चौड़ाई के रास्ते की केवल प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के गुलाबी रंग से प्रदर्शित हिस्से तक ही पहुंच रखते हुए रास्ता के रकबे को कुल आराजी के रकबे से कम किया जाना है। तत्पश्चात शेष आराजी में उक्त खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रकबा विभाजित किया जाना है। उक्त रकबा विभाजन के अनुसार उक्त तालिका में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित रकबे में संशोधन अनुमत किया जाता है।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केषव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी–बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 443 दर्ज तिथिः–23.09.2024

1. लुम्बाराम पुत्र लिखमाराम
2. पुनमाराम पुत्र लिखमाराम

जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर।

........................वादी

<u>बनाम</u>

1. अखाराम पुत्र जगमालराम
2. कुम्भाराम पुत्र जगमालराम
3. नरीगाराम पुत्र जगमालराम फौत के कायम मुकामान
   3/1 रामाराम पुत्र नरीगाराम
   3/2 रूपाराम पुत्र नरीगाराम
   3/3 पनाराम पुत्र नरीगाराम
4. उदाराम पुत्र मेहरीराम
5. खेताराम पुत्र मेहरीराम
6. गोरखाराम पुत्र मेहरीराम
7. चुतराराम पुत्र मेहरीराम
8. चीमाराम पुत्र मेहरीराम
9. खेताराम पुत्र आदुराम
10. भीखाराम पुत्र आदुराम
11. मुकाराम पुत्र आदुराम

जाति जाट निवासी रोली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.......................असल प्रतिवादी

12. शाखा प्रबंधक एसबीआई, एसबीबीजे शाखा गुड़ामालानी।
13. शाखा प्रबन्धक, एसबीबीजे गुड़ामालानी
14. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

...............तरतीबी प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री रामजीवन विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री हरीश चौधरी
श्री जगदीश विश्नोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

<u>–:निर्णय:–</u>

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 18/10.6108 है0 मौजा रोली पटवार हल्का बांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा डिक्री किया जाता है। वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी संख्या 04 से 08 का संयुक्त रूप से पृथक से खाता कायम करते हुए तथा प्रतिवादी संख्या 01—03 तथा 09—11 का संयुक्त रूप से पृथक खाता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। साथ ही प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में काले रंग से प्रदर्शित मार्ग पर 18 फिट चौड़ाई के रास्ते की केवल प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के गुलाबी रंग से प्रदर्शित हिस्से तक ही पहुंच रखते हुए रास्ता कायम किया जाना उचित प्रतीत होता है। उक्त रास्ते के रकबे को समस्त सहखातेदारों के रकबे से कम किया जाना उचित प्रतीत होता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
पूनमाराम पुत्र लिखमाराम हि0 1/2 लूम्बाराम पुत्र लिखमाराम हि0 1/2 जाति जाट सा0देह खातेदार	रोली	18	2.6527 है0	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.6527 है0				
अखाराम पुत्र जगमालराम हि0 1/6 कुम्भाराम पुत्र जगमालराम हि0 1/6 खेताराम, भीखाराम, मुकाराम पिसरान आदूराम हि0 1/18—1/18 पोकराराम, रूपाराम, रामाराम पि0 नरींगाराम हि0 5/108—5/108 हीरोदेवी पत्नी नरींगाराम हि0 1/36 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन अखाराम, उदाराम, कुम्भाराम, चुतराराम, चिमाराम, पोकराराम, रूपाराम, रामाराम, हीरोदेवी पूर्ण खाता एसबीआई गुड़ामालानी भीखाराम, मुकाराम पूर्ण खाता आरएमजीबी गुड़ामालानी	रोली	18	5.2284 है0	बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested

उदाराम, खेताराम, गोरखाराम, चुतराराम, चिमाराम पिसरान मेहरीराम हि0 1 / 5—1 / 5	रोली	18	2.6142 है0	बा0सो0
गैर मुमकिन रास्ता	रोली	18	0.1540 है0	गैर मुमकिन रास्ता
प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में काले रंग से प्रदर्शित मार्ग पर 18 फिट चौड़ाई के रास्ते की केवल प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के गुलाबी रंग से प्रदर्शित हिस्से तक ही पहुंच रखते हुए रास्ता के रकबे को कुल आराजी के रकबे से कम किया जाना है। तत्पश्चात शेष आराजी में उक्त खाता विभाजन अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार रकबा विभाजित किया जाना है। उक्त रकबा विभाजन के अनुसार उक्त तालिका में प्रत्येक खाते के सम्मुख अंकित रकबे में संशोधन अनुमत किया जाता है।				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.06 16:49:55 IST
Reason: SelfAttested